Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

सोहनलाल बनाम सरकार

किस्म मुकदमाः– 136 एलआरएक्ट

नं. मुकदमा......92....... / 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/10/20	आज यह पत्रावली तहसीलदार लूनकरनसर से प्रस्ताव प्राप्त होने पर मुरतीब की गई । दर्ज रजिस्टर की जावे। मुताबिक रिकॉर्ड तहसीलदार लूनकरनसर ग्राम नाथुसर की वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2072–75 में खाता संख्या 211 के खसरा नम्बर 391 तादादी 3.16 हैक्टेयर कृषि भूमि सोहनलाल पुत्र जमनाराम जाति जाट सा. कुबिया खातेदारी रिकार्ड दर्ज हैं। जमाबन्दी संवत 2056–59 में खाता सख्या 23 के खसरा नम्बर 413/257 तादादी 12 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि जरिये ई.नं. 442/07.06.2000 द्वारा सोहनलाल वल्द जगनाराम जाति जाट साकिन कुबिया खातेदार के नाम रिकार्ड दर्ज हुआ है परन्तु जमाबन्दी में इन्द्राज करते समय सोहनलाल वल्द जगनाराम की जगह सोहनलाल पुत्र जमनाराम दर्ज हो गया। जमाबन्दी संवत् 2060–63 बनाते समय भी सोहनलाल पुत्र जगनाराम की जगह सोहनलाल पुत्र जमनाराम दर्ज हुआ जो वर्तमान संवत 2072–75 में भी चला आ रहा हैं। अतः प्रार्थी सोहनलाल द्वारा नाम सम्बन्धी अशुद्धि को शुद्ध करने हेतु निवेदन किया गया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । हमने तहसीलदार लूनकरनसर से प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन किया । प्रस्ताव में पटवारी रावांसर की रिपोर्ट व भू. अभिलेख निरीक्षक की जांच टिप्पणी एवं तहसीलदार राजस्व लूनकरनसर द्वारा प्रार्थी का नाम शुद्ध करने की अनुषंशा की गई हैं। संलग्न दस्तावेजो में खाता संख्या 23 संवत 2060–63 प्रमाणित प्रति, नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम नाथुसर प्रमाणित प्रति जिसमें प्रार्थी का नाम सोहनलाल वल्द जमनाराम जाति जाट दर्ज हैं, नकल जमाबन्दी प्रमाणित प्रति संवत् 2072–75 रावांसर खसरा नम्बर 391 में प्रार्थी का नाम सोहनलाल पुत्र जमनाराम जाति जाट सा. कुबिया दर्ज हैं। बैयनामा प्रमाणित प्रति वर्ष 2000 जिसमें प्रार्थी का नाम सोहनलाल पुत्र श्री जगनाराम जाति जाट निवासी कुबिया लिखा गया हैं। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा निर्वाचन पहचान पत्र एवं आधार कार्ड की प्रति पेश की गई जिसमें प्रार्थी का नाम सोहनलाल पुत्र जगनाराम ही हैं । उक्त प्रमाणित दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट हैं कि जमाबन्दी में इन्द्राज करते समय सहवन से सोहनलाल वल्द जगनाराम की जगह सोहनलाल पुत्र जमनाराम दर्ज हो गया जो कि गलत है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत जमाबन्दी में नाम दुरुस्ती बाबत तहसीलदार लूनकरनसर को जमाबन्दी में सोहनलाल पुत्र जमनाराम की जगह सोहनलाल पुत्र जगनाराम अमलदरामद के निर्देश दिये जाते हैं । तहसीलदार लूनकरनसर को मुताबिक आदेश नाम दुरूस्त कर पालना हेतु आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित की जावे। निर्णय में शुमार हो कर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। (भागीरथ शाख) उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 12:30:04 IST
Reason: SelfAttested